शोध मंथन Vol. XIII No.IV Oct.-Dec. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

पंचायती राज और महिलाएँ

प्राप्तिः 09.12.2022
स्वीकृतः 24.12.2022

85

डॉ० सीमा रानी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय, जहाँगीराबाद बुलन्दशहर
ईमेलः *seema.kota1977@gmail.com*

सारांश

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता और शक्ति को जन–जन तक पहुँचाने का कार्य किया है ''पंचायती राज'' ने। राष्ट्रपिता महात्मा ने इस विषय पर चिंतन किया और एक ऐसे ग्रामीण समाज के बारे में सोचा जिसमें प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होगा। वह स्वयं के लिये आवास, कपड़ा और अन्न की व्यवस्था स्वयं करेगा। इसके साथ–साथ लोकतंत्र को मजबूती तभी मिलेगी जबकि पंचायती राज को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को पहुँचाया जाये।

पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण में महिलाओं के योगदान के सन्दर्भ में विचार करना भी आवश्यक हो जाता है। 1992 में 73 वें संविधान द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण और अलग से सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएँ सभी स्थानीय स्व–शासकीय निकायों और पंचायत स्तर पर निर्वातित होती है। जिसके कारण आज महिलाओं में सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है। पंचायती राज में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण होने से ग्रामीण समाज की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के साथ–साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता आयी है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण महिलाओं को पहली बार प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये गये जिसने उनमें आत्मविश्वास जगाया है।

देश में नव निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब इसकी शुरूआत हुई तो काफी समस्याएँ थीं। पुरानी रूढ़िवादिताओं ने इन्हें जंजीरों में जकड़ रखा था। पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता के कारण 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होने के बावजूद ज्यादातर ग्राम पंचायतों में महिला संरपंच के पति ही कार्य करते थे।

महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता और कार्यशैली के लिए पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य और सहयोग भी आवश्यक है। जिससे वास्तविक रूप से महिलाएं सम्पूर्ण समाज के विकास व सुदष्ढ़ीकरण में सहयोग कर सकें।

मुख्य बिन्दु

लोकतांत्रिक, पंचायती राज, महिलाएं, सुदृढ़ीकरण, राजनीतिक, सामाजिक।

भारत यानि हमारा देश गाँवों का देश कहलाता है देश की लगभग 72 प्रतिशत जनता आज भी गाँवों में ही रहती है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण भी यही संभव है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता और शक्ति को जन–जन तक पहुँचाने का कार्य किया है ''पंचायती राज'' ने। अगर पंचायती राज का ऐतिहासिक रूप देखें तो हम पाते हैं कि पंचायती राज का वर्णन महाभारत, जातक व अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में भी है। महाभारत काल में पंचायत को गण और सभा के नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसका महत्व कम होता गया। चाहे वो मुगलकाल हो या ब्रिटिश काल। देश की आजादी के बाद इसका महत्व बढ़ गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस विषय पर चिंतन किया और एक ऐसे ग्रामीण समाज के बारे में सोचा, जिसमें प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होगा। वह स्वयं के लिए आवास, कपड़ा और अन्न की व्यवस्था स्वयं करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा तब ही सम्भव है जब ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करेगें। तब ही ग्रामीण विकास हो पायेगा। इसके साथ–साथ लोकतंत्र को मजबूती तभी मिलेगी जबकि पंचायती राज को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया जाए।

आजादी के बाद गांधी जी के इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उनके जन्म दिवस 02 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इसी क्रम में 11 अक्टूबर 1959 को, आंध्र प्रदेश में भी यह व्यवस्था शुरू हुई। मुख्य रूप से पंचायतीराज व्यवस्था जो कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रारम्भ हुई। यह बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर शुरू हुई। जिन्होनें लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अब जैसा कि यह 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अपनाया गया था।

यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तर हैं–

- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
- मंडल परिषद या ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद

भारत में पंचायती राज एक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जिसमें ग्राम पंचायते स्थानीय प्रशासन की बुनियादी ईकाइयाँ हैं।

जब 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए (73 वां संशोधन) संवैधानिक अधिनियम 1992 लागू हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करना, हर पांच साल में नियमित रूप से चुनाव करना, अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान करना। इसके साथ महिलाओं अैर पंचायतों की वित्तीय शक्तियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने और जिला योजना समिति का गठन करने के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करना। पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण में महिलाओं के योगदान के सन्दर्भ में विचार करना भी आवश्यक हो जाता है। लगभग दो–तीन दशकों से महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। अनेक संगोष्ठियाँ, जागरूकता कार्यक्रम सरकारी स्तर पर सामाजिक सुधार सम्बन्धी समूहों के द्वारा निरन्तर आयोजित किये जाते रहे हैं। इसी तरह 1992 में 73 वे संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण और अलग से सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है।

जिसके अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएं सभी स्थानीय, स्व–शासकीय निकायों और पंचायत स्तर पर निर्वाचित होती हैं। इस तरह 73 वां संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया है। जिसके कारण आज महिलाओं में सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है।

पंचायती राज में महिलाओं के 33 प्रतिशत आक्षण होने से ग्रामीण समाज की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के साथ–साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता आयी है। अब वे उन मुद्दों, चाहे वे सामाजिक हों, आर्थिक हो जिनकी वजह से वर्षों से उनका उत्पीड़न या शोषण होता रहा है, उनके विरूद्ध आवाज उठाने का साहस आया है। आज वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रही हैं।

आज पंचायतीराज में अधिकार मिलने से उन्होंने साबित भी किया है कि वे पुरूषों से कम नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण हैं जो आज दिख जाते हैं। अनेक महिला प्रधानों ने महिला पंचायत सदस्यों की सहायता से दहेज, शराबखोरी, जुए के अड्डे आदि पर भी रोक लगाई है और आवाज बुलन्द की है। आज ये यहिलाऐं अंधविश्वास, रूढ़ियों, रीतिरिवाजों और परम्पराओं के विरूद्ध भी अपनी आवाज उठा रही हैं और इन जंजीरों को तोड़ने को प्रयासरत हैं। इस तरह पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण समाज को आधुनिकीकरण के इस युग में कदम से कदम मिला कर चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण महिलाओं को पहली बार प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये गये जिसने उनमें आत्मविश्वास जगाया है। देश भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उदाहरण स्वरूप राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाली 24 वर्षीय एम0बी0बी0एम0 की छात्रा शहनाज अपने आप में एक अलग ही उदाहरण पेश करती है। वे देश की सबसे युवा और राजस्थान की पहली महिला डाक्टर सरपंच है। वे ग्रामीण क्षेत्र की लडकियों की शिक्षा पर विशेष काम कर रही हैं।

असम के खेत्री गांव की महिला सरपंच ने संस्थागत वितरण, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छता की दृष्टि से 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली है और 80 प्रतिशत पक्की सड़क की कनेक्टिविटी हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य शिविर के साथ–साथ महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं। इसके साथ–साथ घरेलू हिंसा और निराश्रित महिला पीड़ितों को आश्रय दिया जाता है। अगर हम और बात करें तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जायेगें जिससे पता चलता है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ने उसे सुदृढ़ किया है।

जैसे कि हरियाणा के करनाल जिले में चांद समंद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने गंदे पानी को साफ करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत तीन तालाब विकसित कराये हैं। जिन्हें अब बागवानी, रसोई बागवानी और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उनके चारों ओर एक हरी बेल्ट विकसित की गई है।

हरियाणा के ही धौजं ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल की। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं, युवतियों व लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु एक

नई दिशा में काम किया। उन्होंने लड़कियों के लिए कौशल विकास, मोबाईल कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए कार्य किया। जिसके द्वारा डिजिटल विभाजन को दूर करने का प्रयास किया गया। इन्होंने ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। पर्दा, घूंघट आदि प्रथाओं के विरूद्ध अभियान भी चलाया। इसी तरह एक सशक्त महिला सरपंच छवि राजवत जो कि राजस्थान के सोडा ग्राम की सरपंच हैं उन्होंने दूरसंचार कंपनी की नौकरी छोड़ कर ग्राम में साफ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कों, शौचालयों और गांव में बैकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम किया है।

अगर हम इन महिला प्रतिनिधियों की बात करें जिन्होंने पंचायती राज में सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो यह सूची काफी लम्बी है। पर यह आसान नहीं था। जब इसकी शुरूआत हुई तो काफी समस्याएं थीं। पुरानी रूढ़िवादिताओं ने इन्हें जंजीरों में जकड़ रखा था। पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता के कारण 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होने के बावजूद ज्यादातर ग्राम पंचायती में महिला संरपच के पति ही कार्य करते थे। मात्र उन्हें एक मोहरा बना कर प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब ये बेड़िया टूट रही हैं और ये महिलाएं खुद स्वयं को और अपने ग्रामीण समाज को भी विकास की ओर ले जाने को प्रयासरत है।

लेकिन महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता और कार्यशैली के लिए पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य और सहयोग भी आवश्यक है। पति–पत्नी ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यो को एक दूसरे की प्रतिभा, योग्यता और कौशल को पहचानते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाते हुए वैचारिक शक्ति का संबल प्रदान कर उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने का प्रयास करना चाहिए। जिससे वास्तविक रूप से महिलाएं सम्पूर्ण समाज के विकास व सुदृढ़ीकरण में सहयोग कर सकें।

सन्दर्भ

1. कुमार, सुनील. (2021). ''ग्राम सभा के जरिए शासन में जन भागीदारी''. योजना. नवम्बर. पृष्ठ **6–9.**
2. कुमार, डा० चंद्र शेखर., खान, डा० मौहम्मद तौकीर. (2021). ''पंचायतों का सफर''. ''योजना''. नवम्बर. पृष्ठ **10–14.**
3. तिवारी, अरूण. (2022). ''पंचायती राज में महिलाएँ''. ''योजना''. अप्रैल. पृष्ठ **34–37.**
4. पडिय, जे0पी0. (2022). ''समग्र विकास के लिए महिला शिक्षा''. ''योजना''. अप्रैल. पृष्ठ **19–24.**
5. जोशी, डा० बृजेश कुमार., कु० अंजली. (2022). महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन. ''राधा कमल मुखर्जीः चिन्तन परम्परा''. वर्श अंक–01. 24 जनवरी–जून. पृष्ठ **115–122.**
6. सिंह, उदय भान., मौर्या, लवली. (2015). ''पंचायती राज संस्थानों में महिला सहभागिता एवं जागरूकता''. ''राधा कमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा''. वर्ष–17. अंक–2. जुलाई–दिसम्बर. पृष्ठ **46–49.**